**भारत सरकार**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

**स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न. संख्या : 2139**

**उत्तर देने की तारीखः 12**.0**5**.2016

**ग्रामीण साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान**

**2139. श्री टी॰ रतिनावेलः**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ग्रामीण लोगों में साक्षरता की दर को व्यापक तौर पर बढ़ाने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने राज्य सरकारों को ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता हेतु सर्व शिक्षा अभियान पर ज्यादा ध्यान केन्द्रित करने के लिए कहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

मानव संसाधन विकास मंत्री

**(**श्रीमती स्‍मृति ज़ूबिन इरानी)

**(क): सरकार ने** XII**वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक समग्र साक्षरता दर बढ़ाकर 80 प्रतिशत करने और जेण्‍डर अंतराल को कम करके 10 प्रतिशत प्‍वाइंट तक लाने का लक्ष्‍य रखा है। इस लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने के लिए कुल 26 राज्‍यों और एक संघ राज्‍य क्षेत्र के उन 410 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास की एक केन्‍द्र प्रायोजित योजना साक्षर भारत का क्रियान्‍वयन किया जा रहा है जिनमें 2001 की जनगणना के अनुसार प्रौढ़ महिला साक्षरता दर 50 प्रतिशत अथवा कम थी और इसमें वामपंथ अतिवाद प्रभावी जिले भी शामिल हैं चाहे उनकी साक्षरता दर कुछ भी रही हो। इसमें महिलाओं और अन्‍य वंचित समूहों पर विशेष ध्‍यान दिया गया है। इसके अतिरिक्‍त 6-14 वर्ष के आयु समूह में सभी बच्‍चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण हेतु केन्‍द्र द्वारा प्रायोजित योजना सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) का नि:शुल्‍क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार कार्यान्‍वयन किया जा रहा है।**

**(ख): एसएसए के समग्र उद्देश्‍यों में सर्व सुलभ पहुंच और अवधारण, शिक्षा में जेण्‍डर एवं सामाजिक श्रेणी के अंतराल पाटना और बच्‍चों के अधिगम स्‍तरों में वृद्धि करना शामिल है। एसएसए में नए स्‍कूल खोलने, स्‍कूल एवं अतिरिक्‍त शिक्षण कक्षों, शौचालयों एवं पेयजल सुविधाओं का निर्माण, अध्‍यापकों का प्रावधान, आवधिक अध्‍यापक प्रशिक्षण और शैक्षिक संसाधन सहायता, पाठ्यपुस्‍तकों तथा अधिगम उपलब्‍धि हेतु सहायता सहित अनेक प्रयासों का प्रावधान किया गया है। ये प्रावधान नि:शुल्‍क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 जो 6 से 14 वर्ष के आयु समूह में सभी बच्‍चों को नि:शुल्‍क और अनिवार्य दाखिला, उपस्‍थिति तथा प्रारम्‍भिक शिक्षा पूरी करने का पात्र बनाने के लिए विधायी ढांचा प्रदान करता है, द्वारा यथा अधिदेशित मानदंडों और मानकों तथा अर्हता के अनुरूप बनाए गए हैं।**

**एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यू-डीआईएसई) 2014-15 के अनुसार देश में प्रारंभिक स्‍तर पर 19.8 करोड़ बच्‍चे स्‍कूलों में दाखिल थे।**

\*\*\*\*\*